न्यायालय : जिला न्यायाधीश, धौलपुर

इजराय संख्या–07 / 2001

कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक : 03.11.2025

डिक्रीदार के अधिवक्ता उपस्थित। अधिशाषी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. राजाखेडा धौलपुर की ओर से एक प्रार्थनापत्र कमांक 883 दिनांक 31.10.2025 वास्ते राशि संशोधन पेश किया गया था, जिसका जवाब अधिवक्ता डिक्रीदार ने नही देना चाहा एवं मौखिक निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र मय पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आज दिनांक 03.11.2025 को नोटप्रेस किया गया। प्रार्थीगण कृष्ण कुमार मोहनलाल व रमेशचंद की ओर से मद्यून की संपत्ति को वसूल किये जाने बाबत मय संपत्ति सूची, प्रार्थनापत्र पेश किये, जिनकी नकल मद्यून पक्ष को दिलायी गयी। मदयून पक्ष ने प्रार्थना पत्रो का जबाब नही देना चाहा, प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मद्यून की संपत्ति को कुर्क किया जाना उचित प्रतीत होने से मदयून की संपत्ति कुर्क किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

अतः अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा कुर्की तलबाना फीस पेश करने पर मद्यून की संपत्ति की कुर्की हेतु कुर्की वारण्ट 21 आर 30 जारी होकर पत्रावली वास्ते देखने पालना रिपोर्ट दिनांक 06.11.2025 को पेश हो।

3/11/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)